न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 20 / 2024 दायर दिनांक: 06.02.2024

GCMS NO:- 2024/29 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रकाश आ0 छोटू जाति रैगर नि0 गुढासदावर्तिया हाल नि0 देई तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थी

बनाम

1. देव्या आ0 छोटूलाल जाति रैगर नि0 गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ।
2. कस्तूरा आ0 छोटूलाल जाति रैगर नि. गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ।
3. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या नया 63 पुराना 55 के खसरा नम्बर 803 / 211 रकबा 1.1326 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थी ने मकान बना रखा है जिसमे एक कमरा पक्का बना हुआ है जिसमे आगे चद्दर डले हुए है। उक्त मकान मे प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता है तथा अपने कृषि यंत्रों को रखने के काम मे भी लेता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम गुढासदावर्तिया से ग्राम फतेहपुरा जाने वाले आम रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 208 व 209 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 210 व 207 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 211 / 1 व 211 के मध्य की मेर पर होता हुआ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 803 / 211 पर पहुंचता है। उक्त रास्ता करीबन 20 फीट चौडा है। प्रार्थी शुरू से ही उक्त रास्ते मे होकर अपने कृषि उपकरणों को लेकर आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है।

यह कि दिनांक 30.12.2023 को प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर जा रहा था, इतने मे ही प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थी के आडे फिर गये और कहने लगे कि तुम्हारे इस रास्ते पर होकर निकलने की हिम्मत कैसे हुई, आज तो तुम्हे जान से खत्म करके ही सारा खेल ही खत्म कर देंगे। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने से प्रत्यार्थीगण उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां दे रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी उक्त रास्ते के एवज् मे आने वाली भूमि का प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.5.2025 को की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 की तामिली अधुरी प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट पत्रांक / राजस्व / 2025 / 312 दिनांक 17.07.2025 से प्राप्त हो चुकी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे प्रार्थी की भूमि पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम गुढासदावर्तिया से ग्राम फतेहपुरा जाने वाले आम रास्ते से फटकर खसरा नम्बर 208 व 209 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 210 व 207 के मध्य की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 211 / 1 व 211 के मध्य की मेर पर होता हुआ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 803 / 211 पर पहुंचता है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा परिशिष्ट अ मे दर्शित किया हुआ है जबकि तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 803 / 211 के दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 761 / 211 है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की शामलाती भूमि है। खसरा नम्बर 761 / 211 का ना तो प्रार्थना पत्र मे कहीं अंकन किया गया और ना ही प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गए परिशिष्ट अ मे कही अंकन किया गया। साथ ही खसरा नम्बर 761 / 211 जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की शामलाती भूमि है जिसका अभी तक विधिवत रूप

से विभाजन नही हुआ है, मे से बिना विभाजन रास्ता दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे गलत खसरा नम्बरान के साथ रास्ते की मांग करने, परिशिष्ट अ मे अंकित खसरा नम्बरान का वर्तमान राजस्व नक्शे से मिलान नही होने तथा खसरा नम्बर 761/211 जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी शामलाती खातेदार है, का विधिवत रूप से विभाजन नही होने से इस पत्रावली मे रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ